

प्रेषक,

लीना जौहरी.

सचिव एवं राहत आयुक्त.

उ०प्र०शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

झांसी।

राजस्व अनुभाग-10

८ 5 नवम्बर,

लखनऊ: दिनांक:

: 2014

विषय- वर्ष 2014 में पेयजल संकट ग्रस्त ग्रामों में टैंकर द्वारा की गयी जलापूर्ति पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1367/मु०रा०आ०-03(13)/दौ० आ०/2014-15, दिनांक 31.07.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2014 में जनपद झांसी में ग्रीष्म ऋतु में जलस्तर गिरने के फलस्वरूप जनपद के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी थी, जिसके कारण टैंकरों से जलापूर्ति किया जाना आवश्यक हो गया था। इस हेतु जल संस्थान से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में किराये के टैंकर/टैंकरों से जलापूर्ति करायी गयी थी। उक्त तथ्यों के आलोक में, विशेष परिस्थितियों में वर्ष 2014 में जनपद झांसी के पेयजल के संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकर/टैंकरों के परिचालन पर हुये व्यय के भुगतान, बनी हुई देयता के परिप्रेक्ष्य में कुल ₹0 25,97,300/- की धनराशि की मांग आपके द्वारा की गयी है। अतः प्रश्नगत मामले में पेयजल के संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकर/टैंकरों के द्वारा की गयी जलापूर्ति पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि ₹0 25,97,300/- (रुपये पच्चीस लाख सत्तानबे हजार तीन सौ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- इस धनराशि केवल एजेंट आपूर्ति व्यवस्था में टैंकर, टैंकर संचालन/मरम्मत में व्यय के भुगतान पर नियमानुसार उपयोग की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाये।

4- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा०प०सं०-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1 दिनांक 16-01-2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहाँ राहत प्रदान करने के लिए मानक निर्धारित है, उन मदों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। शासन के पत्र संख्या-जी०आई०-18/1-10-2012, दिनांक 25.10.2012 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या-32-3/2013-एनडीएम-1 दिनांक 28.09.2012 के माध्यम से एस०डी०आर०एफ०/एन०डी०आर०एफ० से नोटिफाइड दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करते हुये पुनरीक्षित नार्मस की सूचना उपलब्ध करायी गई है, का अनुपालन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 05 जुलाई, 2013 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी यथावश्यक अनुपालन किया जायेगा।

5- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू०पी०.एनआईसी.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय । राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू०ओ०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04-03-2013 का अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

7- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये ।

४- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्वित कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भचोदीया,
(लीना जोहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- ४६३ (१)/१-१०-२०१४, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- आयुक्त, झांसी मण्डल झांसी ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓ 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, ३०प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, झांसी।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/ राजस्व अनुभाग-६ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, ३०प्र० शासन ।
- 10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(मदन मोहन)
अनु सचिव।